

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक:- 963 /11-सी-FP/UP/Approach/145661/2021, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 10, 2023
सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-देवरिया के अंतर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच०-79) के किमी० नं०-14 से 15के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-908, ग्राम-कोन्हवलियों, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/12/2023/एफ०सी०/337, दिनांक 05.09.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का पत्रांक-807/2-6, दिनांक 26.09.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा की गयी आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के उपरोक्त पत्रांक-807/2-6, दिनांक 26.09.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 963 /11-सी-FP/UP/Approach/145661/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया।
3. उप महाप्रबन्धक (रिटेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, गोरखपुर-देवरिया रोड, बैतालपुर, देवरिया।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
पत्रांक- 807 / 2-6 दिनांक, गोरखपुर, सितम्बर 26 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उ०प्र० लखनऊ ।

जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस० एच०-79) के कि० मी० 14 से 15 के मध्य दायीं पटरी पर गाटा संख्या-908 /ग्राम-कोन्वहलिया, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक अवागमन में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों /पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भ- भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू०पी०/06/12/2023/एफ०सी०/337/ दिनांक 05.09.2023 एवं आपके कार्यालय के पत्र सं० 637/11-सी/एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/145661/2021 दिनांक 06-09-2023 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गई आख्या प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया ने अपने पत्र सं० 776/2-6 दिनांक 19-09-2023 द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसे मूल में संलग्न करते हुये आनॅलाइन सूचना आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक -उपरोक्तानुसार

भवदीय

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।

संख्या- /समदिनांकित ।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 776 / 2-6 देवरिया, दिनांक, सितम्बर 19 / 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषय :- जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच०-79) के कि०मी० 14 से 15 के मध्य बांयी पट्टरी पर गाटा संख्या-908/ग्राम-कोन्वहलियों, पो०-कंचनपुर, तहसील व. जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्र संख्या-8 बी/यू०पी०/०6/12/ 2023/एफ०सी०/ 337 दिनांक 05.09.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-637/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/एग्रोच/145661/ 2021 दिनांक 06.09.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक प्रकरण में उठायी गयी आपत्तियों का आख्या

बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

क० सं०	आपत्ति	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्राधिकारी का नाम जिसके आदेशों का उल्लंघन किया गया है।	इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से बिना स्वीकृति के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है।
2	उल्लंघन न रोक पाने पर वन विभाग के अधिकारियों की गयी कार्यवाही।	प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा बिना अनुमति के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जिस पर विभागीय रैज केस सं०-36/2022-23 दिनांक 14.12.2022 द्वारा जारी करते हुए कार्यवाही की गयी है तथा दण्डात्मक एन०पी०वी० जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बचनबद्धता दी गयी है।
3	क्या वन भूमि का अनाधिकृत उपयोग रोक दिया गया है।	वन भूमि का अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगा दिया गया है तथा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प पर जारी एच-2 केस सं०-36/2022-23 दिनांक 14.12.2022 केस जारी करते हुए मु० 40,000.00 मात्र की धनराशि प्रतिकर के रूप में धनराशि ई-3 सं०-12943/41 दिनांक 01.06.2023 द्वारा जमा करा दिया गया है।
4	उल्लंघन का संज्ञान/स्वीकृति लेते हुए एच०पी०सी०एल० ने क्या कार्यवाही शुरू की है।	प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग (उल्लंघन) के आरोप में जारी एच-2 केस के अनुपालन में जुर्माना/प्रतिकर की धनराशि मु० 40,000.00 जमा की गयी है, तथा दण्डात्मक एन०पी०वी० जमा करने हेतु बचनबद्धता दी गयी है।

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में वन विभाग द्वारा उल्लंघन रोकने के लिये एच-2 केस इजरा किया गया है तथा प्रतिकर की धनराशि जमा कराकर वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति अपेक्षित है कृपया वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत स्वीकृति जारी कराने की कृपा करें।

भवदीय

R. J. Jaiswal
(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

निदेश

20-09-2023

1543
2-6
20-09-2023